4

विद्यालयों में नामांकन, ठहराव और ड्रॉपआउट के कारणों का अध्ययन खलीलाबाद ब्लॉक के विशेष संदर्भ में

आराधना गोस्वामी*

एक अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा की जड़ों का मजबूत होना। समाज में शिक्षा की जड़ प्राथमिक शिक्षा को ही कहते हैं, यदि प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना है तो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा, जिन चुनौतियों से जूझ रही है, उसका अनुकूलतम समाधान करना होगा। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एस.डी.जी. 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में आ रही चुनौतियों से निपटना आवश्यक है। ऐसे में जब बात प्राथमिक शिक्षा की आती है तो वहाँ नामांकन को बढ़ाना, विद्यालयों में विद्यार्थियों के ठहराव को बनाए रखना एवं ड्रॉपआउट को पूरी तरह नियंत्रित करना अति आवश्यक हो जाता है। देश में एक ओर कोरोना काल के बाद विद्यालयों में नामांकन के बढ़े हुए आँकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति भी है। प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने के लिए विद्यालयों की अवसंरचना, स्टाफ (शिक्षकों की संख्या), बेहतर शिक्षण योग्य वातावरण के साथ ही आधारभूत आवश्यकताओं का संतृप्त होना जरूरी है। इससे ही प्राथमिक शिक्षा अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है।

यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की वह आंतरिक ऊर्जा है, जिसके सहारे व्यक्ति विकास के पथ पर अग्रसर होता है। शिक्षा के सभी स्तरों में प्राथमिक शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कार्य किसी इमारत की नींव की ईंट के समान है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा की परिधि में सभी बच्चों को शामिल करने के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित हैं, जिनमें सर्व शिक्षा

**प्रवक्ता* (समाज कार्य), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश 272 175

अभियान प्रमुख है। इसके अंतर्गत मिड-डे मील, पाठ्यपुस्तकों के वितरण, शिक्षकों और शिक्षामित्रों की नियुक्ति आदि का क्रियान्वयन किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेरणा लक्ष्य 2 को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को हिंदी और गणित में भाषायी ज्ञान तथा अंकगणितीय दक्षता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए प्रथम आवश्यकता होती है, शत-प्रतिशत बच्चों के लिए विद्यालय उपलब्ध कराना, दूसरी आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों को विद्यालय में रोके रखना और उन्हें अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कराना, परंतु विडंबना यह है कि हमारे देश में नामांकन के बाद भी अधिकतर बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं और जो बने रहते हैं उनका भी निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। अतः शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों पर देशों में नामांकन में वृद्धि तथा ड्रॉपआउट को कम करने के लिए लगातार शोध कार्य हो रहे हैं।

जब बात भारत की शिक्षा व्यवस्था की हो तो उच्च शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा के आँकड़े भिन्न प्रतीत होते हैं, जो कि चिंता का विषय है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कोविड काल से अभी तक नामांकन में सुधार देखने को मिला है। *वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (असर) 2022* इसकी स्थिति की पुष्टि भी करती है। हमें विश्व के अन्य देशों से साथ-साथ चलना है तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें अपने देश और अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, जिसका एक पक्ष हमें *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में दृष्टिगोचर होता है। विद्यार्थियों का अपनी विद्यालयी शिक्षा को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर पाना विद्यालयी शिक्षा में अति महत्वपूर्ण है। इस हेतु शोध की नितांत आवश्यकता है, जिस पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी बल दिया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन

कंबोडिया (कंपोग) में किए गए गुणात्मक शोध में स्कूल छोड़ने वाले कई कारकों को उजागर किया गया है, जिसमें माता-पिता की कम आयु कंपोग में स्कूल छोड़ने वालों का प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त आजीविका हेतु नौकरी की तलाश के लिए बच्चों का स्कूल छोड़ना, माता-पिता की कम शिक्षा, स्वप्रेरणा एवं समर्थन की कमी अग्रवाल, जी. ने वर्ष 2009 में प्रकाशित अपनी पुस्तक *'ड्रॉपआउट एंड स्कूल एजुकेशन'* में विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने के कारण तथा उसके समाधान के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा की है। इस पुस्तक में विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने के मूल कारण में जागरूकता का अभाव पाया गया है। काकूगावा फ्रांसेस, 2009 ने अपनी पुस्तक में एक छोटी-सी लड़की की केस स्टडी दी है, जो हवाई के छोटे से गाँव के किंडर गार्डन में अपनी पढ़ाई करने के लिए जाती है, लेकिन वह शारीरिक समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं कर पाती है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि कैसे एक छोटी-सी लड़की के परिवार और शिक्षकों

ने उसकी मदद की और उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कराई। यह पुस्तक छोटे बच्चों को पढ़ाई करने का महत्व बताती है और उन्हें समझाती है कि वे अपने सपनों को हासिल करने के लिए किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। इस पुस्तक में मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा उस लड़की को विद्यालय में रोके रहने के तरीके को उजागर किया गया है। पुस्तक द *ड्रॉपआउट कॉज़ेज एंड क्योर* में स्कूल छोड़ने की समस्या पर चर्चा की है स्कूल छोड़ने के कारणों में आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि तथा विद्यार्थियों के स्कूल से जल्दी बाहर जाने के विभिन्न कारकों में गरीबी, शैक्षिक सहायता की कमी, अपर्याप्त शैक्षिक संसाधन और पारिवारिक, व्यक्तिगत मुद्दे मुख्य रूप से शामिल हैं। निम्न सामाजिक, आर्थिक स्थिति विद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट होने का सबसे प्रमुख कारण है। सुनील मुखोपाध्याय (2012) के द्वारा किए गए शोध 'ड्रॉपआउट और विद्यालयी शिक्षा' विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट होने के मुख्य कारणों के रूप में आवश्यकताओं की कमी, आर्थिक समस्याएँ, शैक्षिक विफलता, असंतुलित पारिवारिक स्थितियाँ, संसाधनों की कमी और स्कूल में कार्यकारी शिक्षण व्यवस्था को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस शोध में विभिन्न सुझाव तथा उपाय वर्णित हैं, जो विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट को रोकने तथा उन्हें स्कूल से जुड़े रहने में मददगार है। यदुपन्नवार (2002) ने बच्चों के शिक्षा पूरी न करने के कारणों का पता लगाने के लिए एक शोध अध्ययन किया उसमें पाया गया कि बच्चों के विद्यालय छोड़ने में गरीबी एक मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को विद्यालय न भेजना, माता-पिता का शिक्षा के प्रति झुकाव न होना भी एक अन्य कारण है। प्लान इंडिया (2009) ने 6–14 वर्ष के बच्चों के विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारणों का पता लगाया है, जो इस प्रकार हैं— शिक्षा का प्रतिकूल वातावरण, सजा, विद्यालय की दूरी, मनोरंजन और खेल की असुविधा, काम का बोझ, घर का काम, भाई-बहन का ध्यान रखना व पशुओं को चराना इत्यादि। इसके अतिरिक्त पढ़ाई का असुरक्षित माहौल, घर व विद्यालय में परिवार द्वारा कोई सहयोग न मिलना आदि भी विद्यालय छोड़ने के कारण बन जाते है। कम रुचि व परिवार के सदस्यों द्वारा ध्यान न देना, घर पर बच्चों का ध्यान न रखना, माता-पिता का निरक्षर होना, घर पर किसी की जल्दी मृत्यु व किसी सदस्य का बीमार होना या घरवालों के रोजगार में मदद करना, बच्चों के विद्यालयी शिक्षा छोड़ने के मुख्य कारण हैं। नाथ, मैटी और हेल्डर (2013) ने कोलकाता में झुग्गी बस्तियों के बच्चों की शिक्षा पर जिन कारणों का प्रभाव पड़ता है, उनका पता लगाया। उनके सैंपल में शामिल 24.17 प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़ चुके थे। उनके कारणों में पाया गया कि विस्थापन, स्वास्थ्य, माता-पिता का व्यवसाय, उनकी शिक्षा, घर या रहने का माहौल व विद्यालय की आधारभूत संरचना बच्चों की शिक्षा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मोहंती, 2014 के अनुसार विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारणों में शामिल है कि माता-पिता बच्चों को शिक्षा देना ही नहीं चाहते।

विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अधिकतर लड़कियों में देखने को मिलती है। न्यादर्श में शामिल बच्चों में 35 प्रतिशत बच्चे गरीबी व 35 प्रतिशत बच्चे विद्यालय संबंधी कारणों से या तो विद्यालय छोड़ गए या विद्यालय गए ही नहीं। बच्चों के विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारणों में गरीबी व घर के खराब वातावरण को बताया। आँकड़ों के अनुसार 29 प्रतिशत बच्चे आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण विद्यालय छोड़ गए। अधिकतर माता-पिता के अनुसार सातवीं तक पढ़ाई काफी है तथा यह भी देखा गया कि अगर परिवार व समूह में एक बच्चा विद्यालय छोड़ रहा है तो अन्य भी विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए।

वर्ष 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ ही भविष्य में विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर को कम करना सुनिश्चित किया गया है, जो यह संकेत देता है कि नई शिक्षा नीति सकल नामांकन तथा विद्यालय बीच में छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए अति संवेदनशील है।

हालाँकि बाद के आँकड़े बच्चों की स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं।

कक्षा	**सकल नामांकन अनुपालन (जी.ई.आर)**
6–8	90.9%
9–10	79.3%
11–12	56.5%

स्रोत—एन.ई.पी. 2020, पृष्ठ 14

आँकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित विद्यार्थियों का एक बड़ा अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है।

एन.एस.एस.ओ. (2017–18) के 75वें राउंड हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार 6–17 आयु वर्ग के 3.22 करोड़ बच्चे विद्यालय ना जा सकने के वर्ग में आते हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है।

असर रिपोर्ट 2022, स्कूल में सीखने के प्रतिफलों पर प्रकाश डालती है और देश में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति को दर्शाती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु—

1. उपस्थिति की दृष्टि से उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में उपस्थिति 60–70 प्रतिशत के मध्य रही।
2. इसके अनुसार 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन स्तर में भी सुधार देखने को मिला। सरकारी स्कूलों में नामांकन 72.9 प्रतिशत रहा, जो 2018 के 65.63 प्रतिशत से अधिक था।
3. 60 से कम विद्यार्थी वाले स्कूलों की संख्या में लगातार एक दशक से वृद्धि देखने को मिल रही है।
4. ड्रॉपआउट संबंधी विषय पर रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कक्षा 5, 8, 9 के विद्यार्थियों में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि किसी विशेष कक्षा या जेंडर तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण थी। हालाँकि रिपोर्ट में पाया गया कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में काफी अधिक थी। कोविड-19 से पहले भी सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कियों का अनुपात प्रत्येक कक्षा और उम्र के लड़कों की तुलना में अधिक था, जो इस रिपोर्ट में भी प्रदर्शित है।

यूडाइस (2021–22) रिपोर्ट, से पता चलता है कि खासतौर से डाटा संकलन, डाटा आकलन तथा डाटा प्रमाणीकरण संबंधी कामों में सुधार आया है। वर्ष 2021–22 के आधार पर स्कूलों में बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की उपलब्धता इस प्रकार से रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है—

स्कूल अवसंरचना	उपलब्धता
बिजली कनेक्शन	89.3%
पेयजल	98.2%
लड़कियों के लिए शौचालय	97.5%
दिव्यांग शौचालय	27.0%
हाथ धोने की सुविधा	93.6%
खेल का मैदान	77.0%
दिव्यांग के लिए रेलिंग वाला रैंप	49.7%
पुस्तकाल या पढ़ने का स्थान	87.3%
किचन गार्डन	27.7%
वर्षा जल संचयन	21.0%

स्रोत— यूडाइस (2021–22)

2021–22 में यूडाइस प्लस रिपोर्ट से प्राप्त आँकड़ों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं—

1. इस वर्ष 8 लाख से अधिक नई विद्यार्थियों का नामांकन स्कूल शिक्षा के अंतर्गत हुआ।
2. उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सबसे अधिक विद्यार्थियों का नामांकन तथा शिक्षक भर्ती की गई।
3. इस रिपोर्ट के अंतर्गत 77 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान की सुविधाओं को दर्शाया गया।
4. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात में सुधार देखा गया, जो 57.6 प्रतिशत था।

शोध के उद्देश्य

- शोध क्षेत्र के परिषद्‍ीय स्कूलों में नामांकन की स्थिति को जानना।
- शोध क्षेत्र में स्थित परिषद्‍ीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विद्यालय त्याग (ड्रॉपआउट)के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

शोध की परिकल्पना

विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि का संबंध विद्यालयों में नामांकन तथा ड्रॉपआउट दोनों से है।

शोध प्रविधि

शोध क्षेत्र— इस अध्ययन में शोधार्थी द्वारा संत कबीर नगर जनपद के परिषद्‍ीय विद्यालयों का अध्ययन किया जा रहा है। अतः शोध क्षेत्र संत कबीर नगर है, जिले का मुख्यालय खलीलाबाद ब्लॉक है।

शोध प्रारूप— वर्तमान में किया जा रहा शोध मुख्यतः प्राथमिक रूप से एकत्र किए गए आँकड़ों पर आधारित वर्णन प्रस्तुत करता है। अतः इस शोध कार्य में वर्णनात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है।

समग्र— इस अध्ययन में खलीलाबाद ब्लॉक को समग्र के रूप में लिया गया है, जिनमें से निदर्शन का चयन किया जाएगा।

निदर्शन एवं निदर्शन का आकार— 40 विद्यालयों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श के अंतर्गत किया गया है शोध में सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग किया गया है, जिसमें जनपद संत कबीर नगर के 9 ब्लॉक में से सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या वाले ब्लॉकों का चयन किया गया है। इसी क्रम में इस ब्लॉक के अंतर्गत कुल 14 न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, जिसमें उद्देश्य को ध्यान में रखकर 10 ऐसे विद्यालयों का चयन किया गया, जहाँ पर ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक रही तथा ऐसे 15 विद्यालय जहाँ सर्वाधिक नामांकन रहा। साथ ही 15 ऐसे विद्यालय जहाँ सबसे कम नामांकन विद्यार्थियों का किया गया। अतः 181 कुल विद्यालय जो खलीलाबाद में हैं, उनका 10 प्रतिशत निदर्शन के तौर पर होना ही चाहिए। इसके साथ ही वर्ष 2022 में खलीलाबाद ब्लॉक में कुल ड्रॉपआउट विद्यार्थी 367 थे। ऐसे में निदर्शन का आकार प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, इस आशय से कुल 40 विद्यालयों का चयन निदर्शन के तौर पर किया गया है। सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर किया गया चयन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यादृच्छिक रूप से किया गया है।

अध्ययन की इकाई

अध्ययन की इकाई के रूप में चयनित विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय के हेड टीचर तथा 10 सर्वाधिक विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक, ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी को लिया गया है।

शोध उपकरण

आँकड़ों के संग्रहण के लिए दो प्रकार के शोध उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

1. प्राथमिक आँकड़ों के लिए साक्षात्कार अनुसूची।
2. फोकस ग्रुप डिस्कशन और द्वितीयक आँकड़ों के लिए प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड से नामांकन के आँकड़े प्राप्त किए गए तथा ड्रॉपआउट संबंधी आँकड़े शारदा पोर्टल से प्राप्त किए गए। यह आँकड़े (30 सितंबर 2022 तक) अद्यतन हैं।

शोध का सीमांकन

- नामांकन की स्थिति हेतु उन्हीं विद्यालयों का चयन किया गया है, जहाँ पर विद्यार्थियों का नामांकन 150 से अधिक तथा कम नामांकन देखने के लिए उन्हीं विद्यालयों को चुना है, जहाँ नामांकन 40 से कम है और इसमें प्रयुक्त प्राथमिक आँकड़े जनवरी 2023 की समय सीमा तक में एकत्र किए गए हैं।
- विद्यालय छोड़ने के आँकड़ों के लिए सर्वाधिक ड्रॉपआउट वाले 10 विद्यालयों का चयन किया गया है, जहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा ड्रॉपआउट जनवरी से सितंबर 2022 के मध्य में सबसे अधिक हुआ।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

परिषदीय स्कूलों में नामांकन की स्थिति को जानने तथा विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विद्यालय त्याग (ड्रॉपआउट) के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से संबंधित आँकड़ों को क्रमशः संपादन, कूटलेखन, वर्गीकरण करने के पश्चात सारणियों में व्यवस्थित किया गया, जिसमें तीन तरीके से आँकड़ों को एकत्र कर प्रस्तुत किया जा रहा है— पहला विद्यालयों से प्राप्त, दूसरा अभिभावकों से समूह चर्चा

और तीसरा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी से साक्षात्कार।

यह शोध एक गुणात्मक शोध है, तो ऐसे में जो शोध परिकल्पना है वह शोध से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर सकारात्मक सिद्ध होती है अर्थात विद्यार्थी की सामाजिक-आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि का संबंध विद्यालयों में नामांकन और ड्रॉपआउट दोनों से है।

शैक्षिक निहितार्थ

- बच्चों के माता-पिता और संरक्षक को जागरूक करने हेतु योजना तैयार की जानी चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम बनाकर अभिभावकों के लिए इस प्रकार लागू कराना चाहिए कि वे शिक्षा के महत्व को समझें और जागरूक होकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु तत्पर रहें।
- न्यूनतम नामांकन वाले विद्यालयों को अपने क्षेत्र के अन्य विद्यालय के साथ सम्मिलित (Merge) कर देना चाहिए और विद्यालयों को न्याय पंचायत स्तर से स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय सुविधा दी जानी चाहिए और जो उन आवासों में न रहना चाहें उन्हें मकान भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों में विद्यालय से जल्दी जाने की प्रवृत्ति कम होगी और मानसिक रूप से ठहराव के साथ शिक्षक अपने पूरे मनोयोग से शिक्षण कार्य करेगा।
- न्याय पंचायत स्तर पर विकसित स्कूल कॉम्प्लेक्स में विद्यार्थियों के लिए यथासंभव निःशुल्क वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- जिन बच्चों का विद्यालय में अपनी कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें विशेष प्रकार की विद्यार्थीवृत्ति दी जानी चाहिए, ताकि विद्यालयों में विद्यार्थियों का ठहराव बना रहे और वह विद्यालय आने के लिए स्वप्रेरित हों।
- परिषदीय विद्यालय के जो विद्यार्थी कक्षा 5 व कक्षा 8 में उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण हों, उनके लिए नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय या किसी सरकारी अर्ध-सरकारी या प्राइवेट शैक्षिक संस्था में प्रवेश हेतु कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए।
- जिन परिवारों के 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चे सरकारी विद्यालय आ रहे हैं, उन्हें एक ग्रीन कार्ड दिया जाए तथा उन्हें रोजगार कार्यक्रमों, सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों, सुविधाओं आदि में प्राथमिकता दी जाए।
- प्राथमिक विद्यालयों को निजी शिक्षण संस्थाओं के समान सुविधा संपन्न बनाना चाहिए। जैसा कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में स्पष्ट है कि किसी भी विद्यालय में अवस्थापना की कोई कमी न रह जाए, जिससे विद्यार्थियों का प्रतिदिन विद्यालय आनेका मन करे। अवसंरचनात्मक कार्य के लिए समस्त दायित्व प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर को न देकर संबंधित विभागों जैसे कि आधारभूत संरचना के लिए लोक निर्माण विभाग आदि को देना चाहिए तथा समयबद्ध तरीके से इनकी जवाबदेही भी तय हो।
- शिक्षक को शिक्षणेतर कार्यों से मुक्त करने के लिए कारगर नीति बनानी चाहिए, साथ ही परिषदीय विद्यालयों में एक लिपिक या कंप्यूटर ऑपरेटर की

नियुक्ति की जानी चाहिए। जैसा कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी कहा गया है कि "शिक्षक या कार्मिकों की नियुक्ति हो" जिससे शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक आपस में समन्वय स्थापित कर सकें।

- बच्चों के सतत मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानक तय किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर ही विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए।
- शिक्षकों को विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु वार्षिक लक्ष्य देना चाहिए, साथ ही इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की ट्रैकिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- विद्यालयों में स्वच्छता के कार्यक्रम ही नहीं, अपितु सफाई के लिए किसी सफाईकर्मी को नियुक्त किया जाए अथवा प्रतिमाह ग्राम प्रधान को एक अनुमानित धनराशि विद्यालयों की सफाई हेतु दी जाए तथा इसका भी गहन निरीक्षण हो कि स्वच्छता का कार्य हो रहा है या नहीं।

निष्कर्ष

शोध से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत प्रस्तुत हैं—

- प्राप्त आँकड़े यह संकेत करते हैं कि जिन विद्यालयों में एक ही शिक्षक है, वहाँ न्यूनतम नामांकन है। यह बताता है कि जो विद्यालय शिक्षक से संतृप्त है या जिन विद्यालयों में कम से कम 4 शिक्षक हैं, वहाँ नामांकन भी बहुत अच्छा देखा गया है। शोध क्षेत्र में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 38:1 है।
- आँकड़े बताते हैं कि विद्यालयों में 97.5 प्रतिशत पुस्तकालय हैं, मात्र 2.5 प्रतिशत ही ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पुस्तकालय नहीं है। आँकड़े यह दर्शाते हैं कि विद्यालयों में पुस्तकालयों की जो व्यवस्था दिख रही है, वह उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन प्रेरणा की देन है, जिसके द्वारा विद्यालय में ऐसी कई व्यवस्थाएँ की गईं, जो कभी दिवास्वप्न जैसी प्रतीत होती थीं। विद्यालयों में न केवल पुस्तकालय है, बल्कि उसकी देखरेख के लिए खासतौर पर एक पंजिका का निर्माण भी देखा गया, जिसमें समस्त पुस्तकों के विद्यार्थियों के साथ लेन-देन का वार्षिक विवरण देखने को मिला। यह विभाग के द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार विद्यालयों में शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालयों को क्रियाशील पुस्तकालयों से संपन्न किया गया।
- शोध में चयनित समस्त विद्यालयों में खेल का मैदान और खेल का सारा सामान उपलब्ध है, जो प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करता है कि परिषद्‌ीय विद्यालयों के बच्चे न केवल पढ़ाई, बल्कि खेल में भी निपुण हों और स्वस्थ रहें। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समर्थन प्रदान करता है। आँकड़े यह दर्शाते हैं कि विद्यार्थियों के लिए खेल के पर्याप्त सामान विद्यालयों में पहुँचाने के पीछे विभाग का स्पष्ट लक्ष्य है कि बच्चे स्वस्थ और सुदृढ़ शरीर के साथ विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि कहा भी गया है— "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है"।
- आँकड़ों से पता चलता है कि 27.5 प्रतिशत विद्यालयों में बैठने लायक केवल तीन कमरे हैं, जहाँ शिक्षण कार्य किया जा सकता है। 30 प्रतिशत

विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ संविलियन कक्षाएँ चलती हैं, उनमें (चार से अधिक) सभी कक्ष बैठने लायक पाए गए। 10 प्रतिशत विद्यालयों में बैठने लायक केवल एक कमरा है, जहाँ शिक्षण कार्य किया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों के बैठने लायक कमरे का होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि कमरे पर्याप्त नहीं होंगे तो कक्षाएँ भी मिलाकर चलाई जाएँगी। इसका यह दुष्परिणाम होगा कि विद्यार्थी पूरे पाठ्यक्रम को समयबद्ध समाप्त नहीं कर पाएँगे और न ही उन्हें शिक्षण रुचिकर लगेगा, अतः बैठने के लिए कक्षावार कक्ष का होना आवश्यक है।

- विद्यालयों में बेहतर नामांकन और ठहराव के लिए एक मुख्य कारक है कि विद्यालयों में प्रभावी ढंग से प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाए, जहाँ विद्यार्थियों को नेक विचार, सूक्ति, दैनिक महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित कराते हुए प्रार्थना कराई जाए। आँकड़ों से स्पष्ट है कि समस्त परिषदीय विद्यालयों (100 प्रतिशत) में शिक्षकों द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है। प्रभावी प्रार्थना सभा जैसी गतिविधियों को कराने से स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विद्यार्थियों को योग, अच्छा स्वास्थ्य, नेतृत्व, बोलने की कुशलता, गायन आदि गुणों को विकसित करने में लाभ प्राप्त होता है।
- विद्यालयों में किसी न किसी प्रकार से पेयजल की आपूर्ति 95 प्रतिशत तक उपलब्ध है, मात्र 5 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की समस्या है और 86.84 प्रतिशत विद्यालयों में पीने योग्य साफ पेयजल उपलब्ध है, वहीं 13.16 प्रतिशत विद्यालयों में पीने योग्य जल नहीं है। कुल विद्यालयों में से 77.5 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ पर शौचालय की स्थिति ठीक है। शेष 22.5 प्रतिशत विद्यालयों के शौचालय खराब हैं, जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आँकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यालय पेयजल और शौचालय जैसी आधारभूत आवश्यकता को प्राप्त कर चुके हैं तथा 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अंतर्गत विद्यालयों में जो कार्य कराया गया, वह भली-भाँति परिलक्षित हो रहा है। चयनित विद्यालयों में वैसे भी केवल एक बालक और एक बालिका शौचालय ही देखने को मिला, चाहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी भी अधिक हो। ऐसे में जिन विद्यालयों में शौचालय ठीक है, वहाँ पर वांछित स्वच्छता देखने को नहीं मिलती।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने की जो व्यवस्था है, उसमें सर्वाधिक 82.5 प्रतिशत टाट-पट्टी का है। 5 प्रतिशत विद्यालयों में विद्यार्थी अपने घर से बैठने के लिए बोरिया लाते हैं, जबकि मात्र 7.5 प्रतिशत ही विद्यालय ऐसे पाए गए जहाँ पर कुर्सी या डेस्क थी। यह तथ्य बहुत ही निराश करते हैं, जहाँ हम एक ओर विद्यालयों को निपुण बनाने की राह पर चल रहे, वहीं पर बच्चों को बैठने जैसी मूलभूत सुविधा को भी मुहैया नहीं कराया जा सका है। प्राप्त आँकड़े मात्र बैठने तक ही नहीं सीमित हैं, ये इस बात का भी संकेत करते हैं कि उन विद्यार्थियों की मनोदशा क्या होगी, जो हर बार जूते-मोजे उतारकर टाट-पट्टी पर बैठते हों, फिर बिना हाथ साफ किए पढ़ते हों और ये प्रक्रिया पूरे दिन की होती है।

- विद्यालयों में औसत नामांकन 112 विद्यार्थी रहा, जिसमें छात्र-छात्राएँ दोनों का नामांकन औसत समान रहा, जो यह स्पष्ट करता है कि जो भी छात्र-छात्राएँ विद्यालयों में नामांकित हैं, उनमें लैंगिक समानता है अर्थात जो अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं, वे लड़का या लड़की के आधार पर तो विभेद नहीं कर रहे। क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 19,599 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया, जो औसतन 112 विद्यार्थी प्रति विद्यालय रहा।
- विद्यालयों में अक्तूबर और नवंबर माह में उपस्थिति घटती मिली, जबकि सर्वाधिक उपस्थिति जुलाई में रही और ठहराव भी अगले कुछ माह बना रहा। जनवरी में भी उपस्थिति में गिरावट मौजूद रही। विद्यालय में अनुपस्थिति का मुख्य कारण त्योहार या धार्मिक उत्सवों 32.5 प्रतिशत का आयोजन, दूसरा मुख्य कारण फसल बोने-काटने में समय देना 27.5 प्रतिशत और अन्य कारणों में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, त्योहार और खेतों में काम करना 20 प्रतिशत आदि हो। कुछ छात्राएँ अपने छोटे भाई-बहन की देखभाल के लिए विद्यालय में अनुपस्थित रहती हैं। अभिभावकों की अनुपस्थिति में बच्चे प्रायः विद्यालय नहीं आते और जब वे रिश्तेदारी में या मेले, त्योहार जैसी जगहों पर जाते हैं, तो भी विद्यालय में 10–15 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं। बच्चे मेले में दुकान लगाते हैं, जिससे उनकी कमाई होती है।
- प्रायः अभिभावकों का विश्वास है कि प्राइवेट विद्यालय में उनके बच्चे परिषद के विद्यालयों से अधिक बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। अभिभावकों में अपने बच्चों का दाखिला विद्यालय में कराने के उपरांत जब तक उनको डी.बी.टी. के माध्यम से पैसे नहीं मिल जाते हैं तब तक वे उसे विद्यालय में रोकते है और पैसे मिलते ही उसे विद्यालय भेजना बंद कर देते हैं। विद्यार्थियों में विद्यालय छोड़ने का मुख्य कारण अभिभावकों का शिक्षा के प्रति कम जागरूक होना (35 प्रतिशत) है साथ ही समाज में प्राइवेट स्कलों की बहुलता भी है पहले इतने प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त पारिवारिक और आर्थिक कारण भी शिक्षा बीच में छोड़ने पर मजबूर करते हैं, कई बार परिवार को समर्थन करने, कई बार धनाकर्षण, तो कभी शिक्षा में रुचि ही पैदा न हो पाने से विद्यालय छोड़ देना पड़ा है।
- इन सकारात्मक तथ्यों के अतिरिक्त कुछ नकारात्मक तथ्य भी सामने आए, जैसे— बच्चों को अब कोई विद्यार्थीवृत्ति नहीं दी जा रही, बच्चों को जूता-मोजा पहनने के लिए तो दिए गए हैं, परंतु उन्हें जमीन पर बिठाया जाता है, जिससे बार-बार जूता-मोजा पहनना-उतारना पड़ता है। विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं वे निम्न तबके से आते हैं। जीवन निर्वाह करना इनके लिए चुनौतीपूर्ण है, बावजूद इसके ये शिक्षा को महत्व देते हैं। कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का व्यवहार क्षेत्र के अभिभावकों से आत्मीय लगा, कुछ विद्यालयों में शिक्षक का अभाव प्रतीत हुआ।

शोध उद्देश्यों के अनुरूप प्राप्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने का मुख्य कारण अभिभावकों का

जागरूक न होना, मानकों का ध्यान न रखते हुए प्राइवेट विद्यालयों का खुलना, पारिवारिक दायित्व, आर्थिक कारण आदि है, जिसके कारण विद्यार्थी अपने परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए कुछ काम करने चले जाते हैं, जैसे— अंडे बेचना, राजगीर का काम सीखना, मेले में ठेला, दुकान लगाना आदि। रोजगार परिवार के दायित्वों हेतु अनिवार्य है, क्योंकि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में ये सभी कारण विद्यार्थियों के शाला त्याग के लिए समान उत्तरदायी हैं।

संदर्भ

अग्रवाल, जी. 2009. *ड्रॉपआउट एंड स्कूल एजुकेशन*. अग्रवाल पब्लिशर्स.

अग्रवाल, जे.सी. 2009. *बेसिक आईडिया इन एजुकेशन*. शिप्रा प्रकाशन. नई दिल्ली.

———. 2014. *उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक*. पृ.सं. 10. अग्रवाल पब्लिकेशन. आगरा.

असर रिपोर्ट 2022. www.asercentre.org. http://www.asercentre.org/Keywords/p/412-html से प्राप्त।

कौर, सतविंदर पाल. 2012. स्कूल ड्रॉपआउट एट एलिमेंट्री स्टेज. *मैन एंड डेवलपमेंट*. अंक 3, पृ.सं. 117–126.

कौल, लोकेश. 2022. *मेथाडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च* (पाँचवा संस्करण). विकास पब्लिशिंग हॉउस प्राइवेट लिमिटेड.

टेसे रिचर्ड, स्टीफन लैम्ब-जॉन. पोलेशेल. 2011. *स्कूल ड्रॉपआउट एंड कंप्लीशन : इंटरनेशनल कंप्रेसिव स्टडीज इन थ्योरी एंड पॉलिसी*. पृ.सं. 167–180. स्प्रिंगर.

नाथ, आई., के. हेल्डर और एन.सी. मैटी. 2013. एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन-एन एटेम्पट टू रीच द अनरीच्ड. *इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च*. वर्ष 2, पृ.सं. 68–81.

फ्रांसेस, काकुगावा. 2021. *द किंडरगार्टन ड्रॉपआउट ऑफ कापोहो*. लीगेसी इसले पब्लिशिंग.

बेस्ट जॉन डब्ल्यू, वी. कहनजेम्स एण्ड के. *अरबिन्द रिसर्च इन एजुकेशन (दसवाँ संस्करण)* पीयर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड.

मुखोपाध्याय, सुनील. 2012. *ड्रॉपआउट और विद्यालय शिक्षा*. विकास पब्लिशिंग हॉउस.

मोहंती, प्राशिमता. 2014. नॉन-इनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट इन एलिमेंट्री एजुकेशन—ए स्टडी ऑफ स्कैवेंजर चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम ऑफ लखनऊ एंड कानपुर. *यूरोपीयन एकेडमिक रिसर्च*. वर्ष 1, अंक 12, पृ.सं. 5664–5677.

यदुपन्नवार. 2002. *फैक्टर्स इनफ्लुएंस एलिमेंट्री स्कूल*. वर्ष 48, पृ.सं. 10–14. सोशल वेलफेयर.

सुनीता. 2011. *ड्रॉपआउट इन सेकेंडरी एजुकेशन स्टडी ऑफ दिल्ली*. नीपा, नई दिल्ली.

https://basiceducation.up.gov.in/en

https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/home

https://dsel.education.gov.in/annual&report